रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2005/आषाढ़ 24, 1927
No. 106] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2005/ASADHA 24, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 11 जुलाई, 2005

सं. टीएएमपी/34/2005-आईजीटीपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, कोच्चि पत्तन में पूर्व-अनुमोदित इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रचालनों के लिए प्रचलित अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता को, संलग्न आदेश के अनुसार, विस्तार प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/34/2005-आईजीटीपीएल

इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल) **आवेदक**

आदेश

(जून 2005 के 30वें दिन पारित)

कोच्चि पत्तन न्यास (सीओपीटी) स्थित राजीव गांधी कन्टेनर टर्मिनल (आरजीसीटी) में 1 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2005 तक अपने प्रचालन के लिए इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल) द्वारा कन्टेनर प्रचालन हेतु अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था को अनुमोदित करते हुए इस प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2005 को एक आदेश पारित किया था। अनुमोदित अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था के अनुसार, आईजीटीपीएल को अपने कन्टेनर संबंधी प्रचालन के लिए उपयुक्त सशर्तताओं के साथ कोच्चि पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान को अपनाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

2. अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था को यह अनुमोदन, प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित मार्गदर्शियों के अनुरूप, सभी प्रासंगिक सहायक विवरणों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आईजीटीपीएल द्वारा व्यापक प्रस्ताव अधिकतम 30 अप्रैल, 2005 तक दाखिल कर देने के अधीन था ताकि टीएएमपी आंतरिक जांच पड़ताल और संबंधित पक्षों से सामान्य परामर्श के बाद 30 जून, 2005 तक अन्तिम दरों पर निर्णय ले सकें। यदि अन्तिम आदेश 30 जून, 2005 तक भी पारित नहीं होता है तब अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था को 1 जुलाई, 2005 से आगे अन्तिम दरों के निर्धारण तक जारी रहने की इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि अन्तरिम दरों में 10 प्रतिशत की समान कमी की जाएगी।

3. तदानुसार आईजीटीपीएल ने निर्धारित प्रपत्र में लागत विवरणी और प्रस्तावित दरमान के साथ, अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए मांगे गए विस्तारित समय के भीतर आरजीसीटी के लिए अंतिम दरों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव दाखिल किया। आईजीटीपीएल द्वारा दाखिल व्यापक प्रस्ताव को, सामान्य परामर्शी प्रक्रिया के बाद विचारार्थ लिया गया। आईजीटीपीएल और सीओपीटी दोनों ने हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया है।

4.1 संयुक्त सुनवाई के लिए इस प्रकरण को 17 जून, 2005 को सीओपीटी में लिया गया था। संयुक्त सुनवाई में सीओपीटी, आईजीटीपीएल और संबंधित उपयोगकर्त्ताओं ने प्रस्ताव के संदर्भ में अपने-अपने पक्ष रखे। अधिकतर उपयोगकर्त्ताओं ने प्रशुल्क में किसी भी वृद्धि का विरोध किया और प्रचालित दरों को ही जारी रखने का सुझाव दिया।

4.2 संयुक्त सुनवाई में, आईजीटीपीएल को प्रस्तुत की गई सूचना/स्पष्टीकरण में कमियों के बारे में सूचित किया गया। सीओपीटी और आईजीटीपीएल दोनों की सहमति के अनुसार, आईजीटीपीएल को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ उन्हें सूची बनाकर दर दिए गए विभिन्न बिन्दुओं पर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने, अनुमानन का आधार बताने तथा सीओपीटी को विस्तृत गणना प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। सीओपीटी को सलाह दी गई थी कि वह आईजीटीपीएल के साथ एक संयुक्त बैठक में, (आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली) सूचना का सत्यापन करें और 31 जुलाई, 2005 तक रिपोर्ट दाखिल कर दें।

4.3 अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था 30 जून, 2005 को समाप्त हो जाएगी, किन्तु आईजीटीपीएल और सीओपीटी दोनों की ओर से आगे की कार्रवाई की जानी शेष है। इसलिए आईजीटीपीएल ने वर्तमान अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता की अवधि, प्रशुल्क में कोई कमी न करते हुए 1 जुलाई, 2005 से 30 सितम्बर, 2005 तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु प्रस्ताव दाखिल किया है और स्पष्ट किया है कि वर्तमान अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था में कोई कमी करने से इसके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और परियोजना की व्यावहारिकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसने सीओपीटी को अपेक्षित सूचना प्रदान करने और निर्धारित समय में उसके सत्यापन के काम में सहायता करने का भी आश्वासन दिया है।

5.1 परिणामस्वरूप, यह प्राधिकरण आईजीटीपीएल के अनुरोध को स्वीकार करता है और 31 मार्च, 2005 को पारित अपने आदेश द्वारा अनुमोदित वर्तमान अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता को 1 जुलाई, 2005 से 30 सितम्बर, 2005 तक तीन माह के लिए अथवा आईजीटीपीएल के अन्तिम दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इसमें से जो भी पहले हो विस्तार प्रदान करता है। यदि इस प्राधिकरण द्वारा अन्तिम आदेश 30 सितम्बर, 2005 तक पारित नहीं हो जाता है तो यह अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगी।

5.2 आईजीटीपीएल को निदेश दिया जाता है कि वह अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिए अपेक्षित सूचनाएं सीओपीटी को प्रस्तुत कर दे ताकि सीओपीटी उसे आईजीटीपीएल के साथ संयुक्त बैठक में सत्यापित कर सके और अपनी रिपोर्ट अधिकतम 31 जुलाई, 2005 तक दाखिल कर सके।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2005/असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th July, 2005

No. TAMP/34/2005-IGTPL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing interim tariff arrangement for operations of the India Gateway Terminal Private Limited at tee Cochin Port approved earlier, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/34/2005-IGTPL

India Gateway Terminal Private Limited (IGTPL) **Applicant**

ORDER

(Passed on this 30th day of June, 2005)

This Authority passed an Order on 31st March, 2005 approving interim tariff arrangement for container operations by the India Gateway Terminal Private Limited (IGTPL) for its operation at Rajiv Gandhi Container Terminal (RGCT) at the Cochin Port Trust (COPT) for a period of three months from 1st April, 2005 to 30 June, 2005. As per the interim tariff arrangement approved the IGTPL was allowed to adopt the existing Scale of Rates (SOR) of Cochin Port Trust for container related operation along with the relevant conditicnalities.

2. The approval for the interim tariff arrangement was subject to the IGTPL filing a comprehensive proposal in the prescribed format in line with the revised guidelines for tariff fixation along with all relevant supporting details latest by 30th April, 2005, so that TAMP can decide the final rates by 30 June, 2005 after internal scrutiny and usual consultation with relevant parties. If the final Order cannot be passed by 30th June, 2005, then the interim tariff arrangement was allowed to continue beyond 1st July, 2005, till fixation of final rates subject to a uniform reduction in the interim rates by 10%.

3. Accordingly, the IGTPL filed a proposal along with cost statement in the prescribed format and the proposed SOR for fixation of final rates for RGCT within the extended time sought for filing its proposal. The comprehensive proposal filed by the IGTPL was taken up for consideration following the usual consultation process. Both the IGTPL and the COPT have responded to the queries raised by us and have furnished additional information/clarification.

4.1 This case was taken up for the joint hearing on 17th June, 2005 at the COPT. At the joint hearing the COPT, the IGTPL and the concerned users made their submissions with reference to the proposal. Most of the users opposed to any increase in tariff and suggested continuance of the existing rates.

4.2 At the joint hearing the IGTPL was informed about the gaps in the information/clarification furnished. As agreed by both the COPT and the IGTPL, the IGTPL was advised to furnish the requisite information on various points listed out to them along with the documentary evidences and explain the basis of estimation and furnish detailed working to the COPT. The COPT was advised to verify the said information (to be furnished by the IGTPL) in a joint sitting with them and file a report by 31 July, 2005.

4.3 The interim tariff arrangement would expire on 30 June, 2005, but, further action was pending from both the IGTPL and the COPT . The IGTPL has, therefore, filed a proposal for extending the validity of the existing interim tariff arrangement without any reduction in tariff for period of three months from 1 July, 2005 till 30 September, 2005 and has explained that any reduction in the existing interim tariff arrangement will adversely affect its investment and the viability of the project. It has also assured to furnish the requisite information to the COPT and assist in verification of the same within the stipulated time period.

5.1 In the result, this Authority accepts the request of the IGTPL and extends the validity of the existing interim tariff arrangement approved vide its Order passed on 31 March, 2005 for period of three months from 1 July, 2005 till 30 September, 2005 or effective date of implementation of final Scale of Rates of the IGTPL, whichever is earlier. The interim tariff arrangement shall automatically lapse on 1 October, 2005 if the final Order is not passed by this Authority by 30 September, 2005.

5.2 The IGTPL is directed to submit the requisite information for finalisation of its proposal to the COPT to enable the COPT to verify the same in a joint sitting with the IGTPL and to file its report by 31 July, 2005 latest.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[Advt. III/IV/143/2005/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.